लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/39/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:– 04.04.2019

श्री शिव प्रकाश पिता गोविन्द लाल पुरोहित निवासी आंवलहेड़ा वाया बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक **25.04.2019**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12.02.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 39/2019/(25.04)/175 दिनांक 04.04.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 25.04.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 25.04.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी ने उसके द्वारा वांछित सूचनाएें उसे आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई है। अतः चाही गई सूचनाऐं दिलावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/57 दिनांक 11.04.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1. यह है कि प्रार्थी श्री शिवप्रकाश पिता गोविन्दलाल पुरोहित निवासी आंवलहेड़ा, तहसील चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.02.2019 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में 13.02.2019 को प्राप्त होना सही है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना के समस्त तथ्य विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र इस कार्यालय द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2090 दिनांक 13.02.2019 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)
3. यह है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध विकास अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ से होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 सहधारा 3 के तहत नियत समय में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरण कर दी गई है जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है। प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी को अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/57 दिनांक 11.04.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ को जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2090 दिनांक 13.02.2019 से स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी इसकी सूचना दे दी।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से दिनांक 01.01.2015 से 01.01.2019 तक ग्राम पंचायत आंवलहेड़ा का आवक-जावक रजिस्टर की छायाप्रति एवं मकानों के पुश्तैनी पट्टों के

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 39 / 2019 (सू.अ.)
श्री शिवप्रकाश पुरोहित निवासी आंवलहेड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

आवेदन संबंधी सूचनाऐं / प्रमाणित प्रतियां चाही गई जो कि विकास अधिकारी तथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत आंवलहेड़ा से संबंधित है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपीलार्थी का आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को धारा 6 (3) के तहत निर्धारित अवधि में स्थानान्तरित करते हुए, उसकी सूचना अपीलार्थी को भी उपलब्ध करा दी गयी थी। जिससे इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना चाहने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ तथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, आंवलहेड़ा से सम्पर्क करें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / प्र.सं. / 39 / 2019(सू.अ.) / 197 दिनांकः– 10 / 05 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री शिवप्रकाश पिता गोविन्द लाल पुरोहित निवासी आंवलहेड़ा, वाया बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)